इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जून 2015—ज्येष्ठ 13, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जून 2015

क्र. 84(9)-वि. निर्वा.-चार-2015-उपचुनाव-307.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 100-म. प्र.-वि. स.-1-2015, दिनांक 3 जून, 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 03 जून, 2015—13 ज्येष्ठ, 1937 (शक)

अधिसूचना

100-म. प्र. वि. स.-1-2015:—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 227—गरोठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राजेश यादव के निधन के परिणामस्वरूप दिनांक 27 मार्च, 2015 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:—

(क) मध्यप्रदेश राज्य से उक्त 227—गरोठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबंधों के अनुसार 02 जुलाई, 2015 (वृहस्पतिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें ;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:—

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 10 जून, 2015 (बुधवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 11 जून, 2015 (वृहस्पतिवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 13 जून, 2015 (शनिवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 27 जून, 2015 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 02 जुलाई, 2015 (वृहस्पतिवार)

नियत करता है, और

(ग) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 03rd June, 2015—13 Jyaistha, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-1-2015.—Whereas, the seat of shri Rajesh Yadav in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 227—Garoth Assembly Constituency has become vacant on 27th March, 2015 by reason of his death; and

2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) Calls upon the said 227—Garoth Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 02nd July, 2015 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election—

(a) the 10th June, 2015 (Wednesday) as the last date for Making nominations;

(b) the 11th June, 2015 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 13th June, 2015 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 27th June, 2015 (Saturday) as the last date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 02nd July, 2015 (Thursday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 8.00 A. M. to 5.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.